कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्याः 2018/39476/एमडीडी/मुरादाबाद/456/जे0डी0 /260 दिनांकःमई 3/2018

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
सी0एल0 गुप्ता वर्ल्ड स्कूल,
रामगंगा बिहार, फैस–।।, मुरादाबाद,
जनपद मुरादाबाद।

विषयः **रामगंगा बिहार, फैस–।।, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद पर निर्मित सी0एल0 गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, शैक्षिक भवन के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः आपका पत्रांकःशून्य दिनांकःशून्य

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण गठित कमेटी प्रबन्धक सी0एल0 गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद श्री राम कृपाल सिंह एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मुरादाबाद श्री बी0के0 सिंह द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तो उनकी संयुक्त निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांकः23.05.2018 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद की परीशीलन आख्या दिनांकः28.05.2018 का परीशीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया, तो निम्न विवरण पाया गयाः–

भवन की संरचना–

1– कुल भूखण्ड ऐरिया–16000.00 वर्गमीटर।

2– निर्मित लोअर ग्राउन्ड फलोर कवर्ड ऐरिया–1677.689 वर्गमीटर।

3– निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया–3597.421 वर्गमीटर।

4– निर्मित प्रथम तल कवर्ड ऐरिया–3336.068 वर्गमीटर।

5– निर्मित द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया–2857.013 वर्गमीटर।

6– भवन की ऊँचाई–11.448 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षणिक श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाऐं–

1–पहुॅचमार्ग–प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मीटर रोड की चौडाई उपलब्ध है।

2–प्रवेश द्वार–प्रश्नगत भवन में 03 अदद प्रवेशद्वार जिनमें प्रत्येक की चौडाई–4.50 मीटर है।

3–सैटबैक–

अः– अग्रभाग–9.00 मीटर।
बः– पृष्ठभाग– 6.00 मीटर।
सः– पार्श्व–।– 5.65 मीटर।
दः– पार्श्व–।।–3.54 मीटर।

नोटः– गठित कमेटी की आख्या के अनुसार प्रश्नगत भवन वर्ष–2005 से पूर्व का निर्मित होने के कारण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर 3.11.3.1 (iii) एवं शासनादेश संख्याः2688/छः–पु0–08–2008 दिनांकः 20.11 2008 के अनुसार पहुॅच मार्ग, सैटबैक एवं निकास की आवश्यकतायें एवं फायर एस्केप की छूट की परिधि के अर्न्तगत आता है।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन में ऊॅपरी तलो से निकास हेतु 03 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौडाई–1.50 मीटर है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है।

5–अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः–प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0–2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कियाशील दशा में उपलब्ध पायी गयीः–

1–हौजरीलः प्रश्नगत भवन में हौजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.–884 मानकों के अनुसार।

2–डाउनकमरः– प्रश्नगत भवन में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुसार।

3–हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–प्रश्नगत भवन में मेनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म का सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार।

क्रमशः....02

4–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः**–प्रश्नगत भवन के लोअर ग्राउन्ड फ्लोर में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान मानकों के अनुसार।

5–**टैरिस टैंकः**–प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 लीटर क्षमता एन०बी०सी० के मानकों के अनुसार।

6–**टेरिस पम्प**–प्रश्नगत प्रश्नगत भवन के टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता–900 एल०पी०एम० एन०बी०सी० के अनुसार।

7–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः**–प्रश्नगत भवन में अग्निशमन उपकरण आई०एस०–2190 के अनुसार।

8–**एक्जिट साइनेजः**– प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज मानकों के अनुसार।

9–**पी०ए० सिस्टमः**–पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर, **रामगंगा बिहार, फैस–।।, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद पर निर्मित सी०एल० गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, शैक्षिक भवन के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र** निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है :–

1– प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।

2– प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अबिलम्ब पायी त्रुटि का निवारण किया जाये ।

4– प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्वेशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये।

5– बर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

6– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र बरेली।
2– मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मुरादाबाद।
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद मुरादाबाद।
4– अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

1-6-18

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

C. L. Gupta World School
Ram Ganga Vihar Phase-II Moradabad